

दिनांक


# संदेश बनाम कृषक वर्ग

कृषक वर्ग का कार्यवाही मय इनिशियलस बज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तालीम  
में जारी हुए

25/2/21

कृषक वर्ग अधिनियम 1947 के  
अनुच्छेद 3 के तहत कृषक वर्ग के तहत प्रतिवादी  
सं 5 की तलबी देयु डि 7/2/20 को तलबना  
पेश करे देयु आदेशित किया गया। वादी ने  
तलबी देयु तलबना पेश नहीं किया। वादी  
को दिनांक 9/11/20 को पुनः रजिस्ट्रार ए.डी.  
तलबना पेश करे देयु व डि 22/1/21 को भी  
तलबना पेश करे देयु न्यायाधीश के अतिरिक्त  
अवसर प्रदान किये गये फिर भी वादी ने  
प्रति 5 की तलबी रजिस्ट्रार ए.डी तलबना  
पेश नहीं किये। कृषक वर्ग के पुनः आग्रह  
को पर दिनांक 23/2/21 को न्यायाधीश में  
एक और अतिरिक्त अवसर दिया गया लेकिन  
वादी ने प्रतिवादी तलब सं 5 की रजिस्ट्रार ए.डी  
तलबना पेश नहीं किया अतः वादी  
का दावा अन्तर्गत 03 R05 के तहत अदक  
तलबना में रकारिज किया जाता है। पुनः तलबी  
जम्मा से कर लेका माद तलबीक दा। निरु  
दास्ता। दे। पुनः तलबना

  
सहायक कलक्टर  
भलवर

